न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 67 / 2018

अनवान : –

1. जयवीर पुत्र जगदीश जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर नाबालिग जरिये संरक्षिक व माता बिरमा देवी पत्नी जगदीश जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. संजय पुत्र जगदीश जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर नाबालिग जरिये संरक्षिक व माता बिरमा देवी पत्नी जगदीश जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. जगदीश पुत्र किशनाराम जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सोनू पुत्री जगदीश जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर
3. ममता पुत्री जगदीश जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।
6. एस.बी.आई. बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर जरिये शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई बैंक शाखा नोहर।।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **सायल**
श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय **दिनांक:** 31/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि खाता स0 328/78 के ख0न0 218 की 6.9300 हैक्ट ख0न0 219 की 2.8330 हैक्ट ख0न0 220 की 13.1520 हैक्ट ख0न0 364/2 की 6.0960 हैक्ट, कुल तादादी 29.0110 हैक्ट भूमि वाके रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर सायलान के दादा किसनाराम नत्थुराम के नाम 1147 हिस्सा भूमि थी जिसमें किसनाराम ने उक्त भूमि में से 920 हिस्सा अपने पुत्रो जयसिंह व जगदीश पि० किसनाराम को दान पत्र करवा दिया तथा दान पत्र के आधार पर गैरसायल स० 1 के नाम 920 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा यानि 460 हिस्सा बतौर कर्ता सयुक्त हिन्दु परिवार दर्ज है तथा उपरोक्त गैरसायल स० 1 के नाम दर्ज भूमि में सायलान व गैरसायल स० 2 व 3 का पैदायशी हक यानि बाई बर्थ राईट है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:38:00 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त सयुक्त हिन्दु परिवार ज[illegible] हिन्दु विधि से संशासित है। तथा सायलान के सयुक्त परिवार की [illegible] दादा व पड़दादा किशनाराम पुत्र नत्थूराम जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर की पुरानी खाते[illegible]मि है। उपरोक्त सयुक्त पैतृक कृषि भूमि खाता स0 328/78 के ख0न0 218 की 6.9300 हैक्ट ख0न0 219 की 2.8330 हैक्ट ख0न0 220 की 13.1520 हैक्ट ख0न0 364/2 की 6.0960 हैक्ट, कुल तादादी 29.

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

0110 हैक्ट भूमि वाके रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर सायलान के दादा किसनाराम नत्थुराम के नाम 1147 हिस्सा भूमि थी जिसमें किसनाराम ने उक्त भूमि में से 920 हिस्सा अपने पुत्रो जयसिंह व जगदीश पि० किसनाराम को दान पत्र करवा दिया तथा दान पत्र के आधार पर गैरसायल स० 1 के नाम 920 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा यानि 460 हिस्सा बतौर कर्ता सयुक्त हिन्दु परिवार दर्ज है तथा उपरोक्त गैरसायल स० 1 के नाम दर्ज भूमि में सायलान व गैरसायल स० 2 व 3 का पैदायशी हक यानि बाई बर्थ राईट है। उपरोक्त सयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक कृषि भूमि खाता स० 328/78 की कुल तादादी 29.0110 हैक्ट में से 460 हिस्सा, वाके रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर जिसका पुरा विवरण दर० की मद स० 4 में दर्ज है तथा उक्त भूमि गैरसायल स० 1 के नाम बतैर कर्ता सयुक्त हिन्दु परिवार दर्ज है। तथा उक्त पैतृक दादालाई कृषि भूमि में सायलान स० 1 व 2 व गैरसायल स० 2 व 3 चारो गैरसायल स० 1 के साथ ब.हि.ब. के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि खाता स० 328/78 की कुल तादादी 29.0110 हैक्ट, भूमि में से 460 हिस्सा वाके रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर गैरसायल स० 1 के नाम गलत दर्ज है जबकि उक्त भूमि नियमानुसार सायलान स० 1 व 2 व गैरसायल स० 2 व 3 चारो गैरसायल स० 1 के साथ ब.हि.ब. के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। मगर हाल राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि गैरसायल स० 1 के नाम गलत दर्ज होने से गैरसायल स० 1 उक्त वादग्रस्त भूमि समस्त किसी अन्य को फरोक्त करने की योजना बना रहा है। जिससे गैरसायल स० 1 उपरोक्त मकसद पुरा होने से सायलान के खातेदारी हकुक का हनन होता है जिससे सायलान अपने खातेदारी हकूक की घोषणा करवाकर जमाबन्दी दुरूस्त करा वादग्रस्त भूमि जो गैरसायल स० 1 के नाम दर्ज है मे सायलान अपने आपको तथा गैरसायल स० 2 व ३ चारो को गैरसायल स० 1 के साथ ब.हि.ब. के मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज करवापाने का मजाज है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 328/78 की कुल 29.0110 हैक्ट भूमि मे से 920 हिस्सा भूमि में 1/2 हिस्सा यानि 460 हिस्सा भूमि जो गैरसायलान संख्या 1 के नाम दर्ज है के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ने निवेदन किया की जवाब नही देना चाहते है। बहस सुनी जावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:38:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का कथन है कि किशनाराम ने उक्त भूमि का दानपत्र अप्रार्थी स0 1 के पक्ष में किया है एवं अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज भूमि में सायलान का जन्मजात हक हिस्सा है पत्रावली वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है एवं पूर्व में अप्रार्थी स0 1 के पिता व प्रार्थी के दादा किशनाराम के नाम दर्ज रही है और उनके बाद जरिये दानपत्र सायल

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के पिता यानि की अप्रार्थी संख्या 1 नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थी का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के खाता स0 328/78 की कुल 29.0110 हैक्ट भूमि मे से 920 हिस्सा भूमि में 1/2 हिस्सा यानि 460 हिस्सा भूमि मे प्रार्थीगण के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 31/10/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:38:00 IST
Reason: SelfAttested